



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 290 राँची, सोमवार, 30 वैशाख, 1946 (श०)
20 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

19 अप्रैल, 2024

संख्या-5/आरोप-1-75/2018 का.-25259 (HRMS)--श्री रोहित सिंह झा०प्र०से०
(कोटि क्रमांक-153/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आमड़ापाड़ा, पाकुड़ के विरुद्ध
उपायुक्त, पाकुड़ के जापांक-635, दिनांक 07.07.2018 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया
गया, जिसमें इनके विरुद्ध वरीय पदाधिकारी के निर्देशों के बावजूद मनरेगा योजना के क्रियान्वयन
में उदासीनता बरतने, प्रधानमंत्री आवास योजना में अभिरुचि नहीं लेने, वरीय पदाधिकारी के निर्देशों
का अनुपालन नहीं करने, Special Summary Revision of Photo Electoral roll of Intensive
nature जैसे निर्वाचन कार्य में प्रशिक्षक होने के बावजूद ससमय भाग नहीं लेने एवं बिना अवकाश
स्वीकृत कराये मुख्यालय से अनुपस्थित रहने संबंधी कुल-5 आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6027, दिनांक 09.08.2018 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गई है। उक्त के अनुपालन में उनके पत्रांक-217, दिनांक 09.04.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-5171, दिनांक 01.07.2019 द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त, संथालपरगना प्रमंडल, दुमका से मंतव्य की माँग की गई। प्रमंडलीय आयुक्त, संथालपरगना प्रमंडल, दुमका के पत्रांक-124/स्था0, दिनांक 27.05.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

3. श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-6087, दिनांक 25.11.2020 द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका से समीक्षा कर बिन्दुवार मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के पत्रांक-137/स्था0, दिनांक 03.08.2021 द्वारा बिन्दुवार मंतव्य उपलब्ध कराया गया है। मंतव्य में कहा गया है कि श्री सिंह के पदस्थापन के पश्चात् प्रखण्ड क्षेत्र में मनरेगा योजना, डोभा योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में कराये गये कार्य का उपलब्धि प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नहीं रहा है। उपायुक्त, पाकुड़ द्वारा श्री सिंह के अवकाश में जाने की अनुमति प्रदान नहीं की गयी थी। श्री सिंह के विरुद्ध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अमड़ापाड़ा के पद पर अपने पदस्थापन काल में निरीक्षण प्रतिवेदन उपायुक्त, पाकुड़ को उपलब्ध नहीं कराये जाने का आरोप प्रमाणित होता है ।

4. श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत, विभागीय संकल्प सं0-6679, दिनांक 27.06.2022 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-264, दिनांक 10.11.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान उपस्थापन पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने एवं मंतव्य उपलब्ध नहीं कराने के कारण अभिलेख में रक्षित सभी कागजातों एवं आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित बचाव-बयान के समीक्षोपरांत आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप एक पक्षीय निर्णय के आधार पर तकनीकी रूप से प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया ।

5. मामले के समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं बाद में उपलब्ध कराये गये उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा समर्पित मंतव्य को विभागीय पत्रांक-1284, दिनांक 02.03.2023 द्वारा विभागीय जाँच पदाधिकारी को वापस करते हुए विधिवत जाँचोपरांत प्रतिवेदन समर्पित करने का अनुरोध किया गया ।

6. उक्त के आलोक में विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-121, दिनांक 01.06.2023 द्वारा आरोपी पदाधिकारी श्री सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँचोपरांत पुनः

प्रतिवेदन समर्पित किया गया। विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित कुल पाँच आरोपों में से मात्र आरोप सं0-1 को आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

7. विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत उनके द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री सिंह के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत निन्दन का दण्ड प्रस्तावित किया गया तथा उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-5092, दिनांक 11.09.2023 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री सिंह के पत्र, दिनांक 07.02.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

8. श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा निम्नवत् है-

“एक ही विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा इनको सभी आरोपों से मुक्त करना एवं पुनः विभागीय जाँच में आरोप सं0-1 को आंशिक रूप से प्रमाणित करना कहीं से भी न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इन्होंने आरोप सं0-1 के बचाव बयान में पूरे वर्ष MIS Server Down रहने की बात कभी भी नहीं कही, बल्कि मई महीने में Server Down होने की बात की थी, जिसके प्रमाण में इन्होंने पाकुड़ जिले के बाकी प्रखण्डों का MIS प्रतिवेदन भी संलग्न किये थे। साथ ही लिट्टीपाड़ा विधानसभा उप निर्वाचन होने के कारण सभी प्रखण्डों में अपेक्षाकृत कम प्रगति हुई थी।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के श्रम बजट के निर्धारण के संबंध में इनके द्वारा प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, आमड़ापाड़ा को ज्ञापांक-217, दिनांक 07.03.2018 द्वारा कारण पृच्छा की गई थी, जिसके उत्तर में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, आमड़ापाड़ा के पत्रांक-147, दिनांक 12.03.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि “मनरेगा श्रमबजट 2017-18 निर्धारण के संबंध में प्रखण्ड कार्यालय, आमड़ापाड़ा के पत्रांक-73/मनरेगा, दिनांक 17.03.2017 द्वारा प्रखण्ड का कुल श्रमबजट 258872 मानव दिवस का निर्धारण कर उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, पाकुड़ को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया, परन्तु प्रखण्ड का 2017-18 का श्रमबजट निर्धारण उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, पाकुड़ के कार्यालय पत्रांक-198/मनरेगा, दिनांक 10.04.2017 द्वारा 311830 मानव दिवस निर्धारित किया गया है।”

साथ ही, उपायुक्त, पाकुड़ की अध्यक्षता में पाकुड़ समाहरणालय में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में मनरेगा की अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन समर्पित कर रहा हूँ, जो यह दर्शाता है कि आमड़ापाड़ा प्रखण्ड की उपलब्धि बाकी प्रखण्डों के अपेक्षाकृत कम नहीं थी एवं यह कहना कि आमड़ापाड़ा प्रखण्ड द्वारा पाकुड़ जिला के विकास को प्रभावित किया, तथ्य से परे एवं भ्रामक प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपों से मुक्त की जाय।”

9. श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के कम प्रगति के संबंध में किये गये आवश्यक कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया है। उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में किसी प्रकार की ठोस तथ्य अथवा साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री रोहित सिंह, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आमड़ापाड़ा, पाकुड़ द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत निन्दन का दण्ड अधिरोपित जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री रोहित सिंह, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ROHIT SINGH 110041165699	श्री रोहित सिंह, झांप्र०से०(कोटि क्रमांक-153/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आमड़ापाड़ा, पाकुड़ के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
